रा0पुनरीक्षण क्र0R............../2016 , जिला पन्ना

बीस रुपये TWENTY RUPEES

एन0एम0डी0सी0 लिमिटेड हीराखनन परियोजना
मझगवॉ माइन द्वारा प्रबन्धक (कार्मिक) ....पुनरीक्षणकर्त्ता/अनावेदक
जिला-पन्ना (मध्य-प्रदेश) निग- 1689-I-16

72

बनाम

रघुनाथ काछी मृत द्वारा वारिसान
01.राम मिलन काछी आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
02.उमाप्रसाद काछी आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
03.मोतीलाल काछी आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
04.हीरालाल कुषवाहा आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
05.राकेश कुशवाहा आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
06.भरत कुशवाहा आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
07.विनोद कुशवाहा आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
08.अर्जुन कुशवाहा आत्मज स्व0 श्री रघुनाथ काछी
सभी प्रत्यर्थी/आवेदकगण निवासी–नयापुरा,तह0 पन्ना,जिला–पन्ना(म0प्र0)....प्रत्यर्थी/आवेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, का0अ0 द्वारा आज दि. 30-5-16 को प्रस्तुत

30-5-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण विरूद्व आदेश दिनॉक 31.03.2016 जो कि तहसीलदार महोदय पन्ना ने रा0प्र0क0 03/अ–70/वर्ष 2013–14 राममिलन कुशवाहा वनाम सी0ई.किन्डो महाप्रबन्धक एन0एम0डी0सी0 मंझगवॉ ,जिला–पन्ना(म0प्र0)में धारा 250 म0प्र0 भू–रा0सं01959 के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करने का आदेश पारित किया से उद्भूत अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0सं01959

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्त्ता/अनावेदक का माननीय न्यायालय से निम्नलिखित निवेदन है :–

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि योग्य अधी0 न्यायालय में प्रत्यर्थी/आवेदक ने आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम पन्ना के आराजी खसरा क्र0 1230/1 रकबा 0.354 हे0 उसके स्वामित्व की है प्रत्यर्थी / आवेदक ने मेड़वाही कृषकों को विधिवत सूचना देकर सीमांकन कराया तब उसे ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी के अंश भाग उत्तर तरफ 19 कड़ी तथा दक्षिण तरफ 14 कड़ी पर क्रमशः पुनरीक्षणकर्त्ता/अनावेदक द्वारा तार फेंसिंग लगाकर एक माह पूर्व बेजा कब्जा कर लिया गया अतः अनाधिकृत बेजा कब्जा से पुनरीक्षणकर्त्ता/अनावेदक को बेदखल कर प्रत्यर्थी/आवेदक को कब्जा दिलाया जाय।

02. यह कि प्रत्यर्थी/आवेदक ने अपना पक्ष प्रमाणित करने के लिये स्वयं का एवं,मुन्नीलाल व सौखीलाल का परीक्षण प्रतिपरीक्षण करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रा0प्र0क0 25 /ए–12/2013–14 में पारित आदेश दिनॉक 28.4.2014 प्रदर्श पी–01, सीमांकन प्रतिवेदन प्रदर्श पी–02, सूचनापत्र प्रदर्श पी–03, पंचनामा प्रदर्श पी–04, फील्डबुक प्रदर्श पी–05,खसराप्रदर्श पी–06 प्रस्तुत किया ।

03. यह कि पुनरीक्षणकर्त्ता/अनावेदक ने प्रत्यर्थी/आवेदक के तथ्यों को अस्वीकार कर सीमांकन की सूचना प्रदाय न करने ,तथा सीमांकन विधि अनुरूप न होने तथा प्रत्यर्थी/ आवेदक की भूमि में कब्जा न करने तथा स्वयं की भूमि में कब्जा होने का पक्षकथन किया तथा अपने पक्षसमर्थन में साक्षी भूपेश कुमार का परीक्षण प्रतिपरीक्षण कराया ।

04. यह कि योग्य अधी0 न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त प्रत्यर्थी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्त्ता/अनावेदक को बेदखल करने का आदेश दिनॉक 31.3.2016 को पारित किया जिससे उद्भूत पुनरीक्षण माननीय बोर्ड में निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत है ।

72

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 1689-एक/2016

जिला- पन्ना

एन.एम.डी.सी. लिमि. विरूद्ध राम मिलन काछी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार, जिला-पन्ना के प्र.क्र. 03/अ-70/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-05-16 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार, जिला-पन्ना के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

2-1-19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 2.1.19

सदस्य